न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-अशोकनगर

शम्मीखॉ पुत्र श्री सरदार खॉ
निवासी-शाढोरा .तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

मौसम खॉ पुत्र श्री सरदार खॉ
निवासी - शाढौरा तहसील शाढोरा जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18.04.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1- यहकि, अनावेदक मौसम खॉ द्वारा ग्राम शाढौरा में स्थित भूमि सर्वे नं. 1045/2 रकवा 0.532 है0 एवं सर्वे नं. 2046/3 रकवा 0.314 है0 कुल किता 2 कुल रकंवा 0.846 है0 भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण की मांग तहसीलदार शाढौरा के समक्ष अनावेदक द्वारा की गयी थी।

2- यहकि, उक्त नामान्तरण इस आधार पर चाहा गया था कि मूल भूमि स्वामी स्व. सरदार खॉ द्वारा अपने पुत्र आवेदक मौसम खॉ के हित में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 11.03.2013 सम्पादित किया गया था। चूकि प्रकरण में आवेदक के पिता के देहांत दिनांक 01.06.2014 को हो गया है इसलिये वसीयतनामा के आधार पर उसका नामान्तरण किया जाये।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1412–दो/2017 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–06–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार शाढौरा जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 41/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसीयतनामे के आधार पर नामांतण हेतु प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार ने प्रकरण प्रचलनशील मानते हुये साक्ष्यों के कूटपरीक्षण के लिए नियत किया है। वसीयतनामा साक्ष्यों से ही सिद्ध किय जा सकता है इसलिए तहसीलदार द्वारा साक्ष्यों के कूटपरीक्षण हेतु प्रकरण नियत करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में जो तर्क प्रस्तुत किये जा रहे हैं उन्हें तहसील न्यायालय में कर सकता है। दर्शित परिस्थतियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	